बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

ज्ञाप

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री संचित पाण्डेय, आपूर्ति निरीक्षक, कसवा, पूर्णियाँ जिन्हें जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा कतिपय आरोपों के लिये निलम्बित किया गया था, को जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पत्रांक 2756 दिनांक 14.09.2012 द्वारा प्राप्त प्रपत्र 'क' पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया जाता है ।

2. श्री पाण्डेय को विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करते हेतु आयुक्त के सचिव पूर्णियाँ प्रमण्डल पूर्णियाँ को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

3. संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि आरोपी पदाधिकारी को आरोप प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्य की प्रति अपने स्तर से तामिला कराकर तीन माह के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूरी कर जाँच प्रतिवेदन निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा देगें ।

4. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्णियाँ को साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

5. आरोपी पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि आरोप पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपना बचाव पक्ष संचालन पदाधिकारी को अवश्य समर्पित कर देगें ।

1/4/2013

(सुरेश ठाकुर)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र08गो0वि0 पूर्णियाँ-12/2012 2024 /खाद्य,पटना/दिनांक 2/4/2013

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/आयुक्त के सचिव पूर्णियाँ प्रमण्डल पूर्णियाँ -सह- संचालन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, -सह- साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी, पूर्णियाँ/ प्रशाखा पदाधिकारी-3 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/श्री अफजल आजमी, आई0टी0 मैनेजर/श्री संचित पाण्डेय, आपूर्ति निरीक्षक, कसवा, पूर्णियाँ सम्प्रति, जिला आपूर्ति कार्यालय, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

1/4/2013

सरकार के संयुक्त सचिव ।